

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज सहायक कलटर (एस.डी.ओ.), मुकाम जायल (नागौर)

चेलाराम
रजस्व प्रार्थना पत्र

बनाम

राधाकिशन वगैरह

प्रकरण संख्या 02/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिषिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
15-7-13	<p>यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया।</p> <p>बहस अभिभाषक प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। बहस अभिभाषक व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण 1 से 9 के विरुद्ध इस आशय की जारी कि जाकर पाबन्द किया जाता है कि वे सरहद चावली के खेत खसरा नं. 269 रकबा 7.13 बीघा में से 3.17 बीघा दक्षिणी तरफ व मौजा अजबपुरा के खेत ख. नं. 47 रकबा 31.10 बीघा में से 20 बीघा पश्चिमी तरफ की भूमि का या भूमि के किसी भू भाग का बैचान, दखल अंदाजी, विनिमय, आदि नहीं करे एवं राजस्व के रेकर्ड व मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08-08-2013 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलटर (एस. डी. ओ.) मुकाम (नागौर)</p> <p>2/9/13</p>	<p>मुजीराम</p> <p>11/7/2013</p>
13/9/13	<p>पत्रावली - पेशा डई / गृहीत उपरोक्त प्रार्थी सं. 1) राधाकिशन की मांग से वकील श्री जैलेंद्र सिंह कलवी ने पत्रावली में पूरा वाद में पेश किया जो इस प्रकरण में ली है।</p> <p>प्रतिवादी सं. 2 से 4 व 9 का खत वाद तामील प्राप्त हुआ। प्रतिवादी सं. 5 व 6 का खत जालें तामील प्राप्त हुआ। वकील</p>	

फर्द अहकाम
(नियम-26)

चैतन्य बनाम राधाकृष्ण

रस प्रकरण :

मुकदमा नं. 83 /2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज
.5.2018	<p>मुसफरत नं. 162/2013 का निर्णय हो चुका है जो इसलिये इस जजना को चलाने की आवश्यकता नहीं है अतः जजना पर निर्णय हुआ होस्ट नामक से कम होस्ट उक्त दाखिल हो।</p>